

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 115/23

तारीख दायर 25/5/23

किशनलाल पुत्र रतनलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ
तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....प्रार्थी

बनाम्

1. शम्भू पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
2. गोपाल पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
3. रामा पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
4. पन्ना पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
5. बद्रीलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
6. मूरा लाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0
7. छीतर पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा राज0

.....विपक्षीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक 7/6/23

प्रार्थना पत्र किशनलाल ने जरिये अभिभाषक श्री पंकज धाकड एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खूर्द मे खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 230/43 रकबा 0.7284 हे0, आराजी संख्या 237/43 रकबा 0.0324 हे0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.4775 हे0, आराजी संख्या 43 रकबा 0.9389 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.1772 हे0 भूमि स्थित है विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः

बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।


पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। पत्थरगढ़ी कमिश्नर फीस ~~800~~ ¹⁵⁰⁰ रूपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढ़ी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खूर्द मे खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 230/43 रकबा 0.7284 हे0, आराजी संख्या 237/43 रकबा 0.0324 हे0, आराजी संख्या 40 रकबा 0.4775 हे0, आराजी संख्या 43 रकबा 0.9389 हे0 कुल किता 4 रकबा 2.1772 हे0 भूमि की बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100 /- रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया




उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

प्रकरण संख्या - 115/23

तारीख दायर 115/23

प्रेषित :- तहसीलदार बिजौलियाँ

विषय :- प्रकरण संख्या 115/23 पत्थरगढी बाबत।

25/5/23

किशनलाल पुत्र रतनलाल जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ
तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....प्रार्थी

बनाम्

1. शम्भू पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
2. गोपाल पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
3. रामा पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
4. पन्ना पुत्र नाथू जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
5. बद्रीलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया खूर्द तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
6. भूरा लाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०
7. छीतर पुत्र नन्दा जाति भील उम्र वयस्क निवासी मानगढ तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा राज०

.....विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनवानी प्रकरण मे आदेश होकर लेख है मौजा ग्राम मानगढ पटवार हल्का बिजौलिया खूर्द मे खाता संख्या 12 पर अंकित आराजी संख्या 230/43 रकबा 0.7284 हे०, आराजी संख्या 237/43 रकबा 0.0324 हे०, आराजी संख्या 40 रकबा 0.4775 हे०, आराजी संख्या 43 रकबा 0.9389 हे० कुल किता 4 रकबा 2.1772 हे० भूमि की बशमलात पडौसीयान के पत्थरगढी की जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बिजौलिया खूर्द को कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस 500/-रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पहले विपक्षीगणों एवं पडौसीयान को सूचित करते हुये पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी

बिजौलियाँ

जिला भीलवाड़ा

